न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 150/2022

श्री दलीप सिंह शेखावत निवासी ग्रा0पो0 अडूका, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं (राज0) पिन कोड 333026

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 25.05.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 04.05.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 150/2022 पर दिनांक 04.05.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/1865–66 दिनांक 04.05.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ ने पत्रांक आरटीआई/2022/132 दिनांक 20.05.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.2021 को इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ जिसकी सूचना आवेदक को इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2022/48 दिनांक 12.01.2022 द्वारा आवेदक को प्रेषित की जा चुकी है। आवेदक द्वारा चाही गई सूचनायें आवेदक को समय पर एवं सही भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ पत्रांक आरटीआई/2022/132 दिनांक 20.05.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.2021 को उनके कार्यालय मे प्राप्त हुआ जिसकी सूचना आवेदक को उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2022/48 दिनांक 12.01.2022 द्वारा आवेदक को प्रेषित की जा चुकी है। आवेदक द्वारा चाही गई सूचनायें आवेदक को समय पर एवं सही भिजवाई जा चुकी है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ द्वारा जरिये पत्र प्रार्थी को सूचित किया गया है कि आप द्वारा सूचना न चाहकर प्रश्नात्मक/जिज्ञासा/समाधान से संबंधित जानकारी चाही गई है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (च) एवं (झ) के प्रावधानों के अन्तर्गत नही होने के कारण देय नही है। दूसरी ओर प्रार्थी के आवेदन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा पत्रावली मे उपलब्ध सम्पूर्ण सूचना चाही गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी को चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आदेश से ... द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 25.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.13 12:04:33 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0 कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनू